राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1002/2021

सुन्दर लाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्टार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राज. जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.01.2021
आदेश की दिनांक : 03.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 14.07.1980 (अनुलग्नक–2) द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में हुई थी। अपीलार्थी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद से दिनांक 30.06.2020 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो गया। नियमानुसार अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 को लगने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था परंतु अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 को लगने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा विभाग के समक्ष निवेदन किया गया तो विभाग द्वारा अपीलार्थी इस आधार पर लाभ प्रदान नहीं किये कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुके है। दिनांक 01.07.2020 प्रदत वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु सेवा की गणना दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 30.06.2020 तक की जाएगी और उसी के आधार पर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय व व सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों

में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु सेवा की गणना दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 30.06.2020 तक की जानी चाहिए और उसे उसी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। अपीलार्थी दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत हो चुका है इसलिए उसे उपरोक्त वर्णित लाभ देने के पश्चात पेंशन लाभ भी संशोधित किये जावे और रिवाईज्ड पीपीओ, जीपोओ एवं सीपीओ जारी किये जावे और एरियर राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जावे। अपीलार्थी ने उक्त लाभ दिए जाने हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस दिनांक 02.12.2020 को विभाग को प्रस्तुत किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा भागीरथ बनाम राज्य व अन्य एस. बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 14650/2019 में आदेश दिनांक 29.08.2019 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित डब्ल्यू.पी. नबंर 15732/2017 पी अयय्म पैरूमल बनाम रजिस्टार केट व अन्य में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत होता है तो उस कर्मचारी को 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आदेश दिनांक 31.12.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को 1 जुलाई 2020 को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिलाया जावे एवं उसी अनुरूप अपीलार्थी को सेवानिवृति लाभ पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ संशोधित करते हुए दिलाये जावे और उपरोक्त एरियर राशि का भुगतान मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान कराया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 30.06.202 है तथा अपीलार्थी दिनांक 01.07.2020 को राजकीय सेवा में नहीं था इस कारण अपीलार्थी को नियमानुसार दिनांक 01.07.2020 को लगने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा सकता। राजस्थान सरकार वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 11.02.2020 जारी किया था जो कि माननीय अधिकरण के अवलोकनार्थ जवाब में प्रदर्श आर/2 से प्रदर्शित किया गया है, इसी प्रकार समय समय पर माननीय उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों के आधार पर राजस्थान सरकार वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2021 जारी किया था जो कि माननीय अधिकरण के अवलोकनार्थ जवाब में अनुलग्नक–आर/3 है। राजस्थान सरकार वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 05.01.2022 जारी किया था।(अनुलग्नक आर/4) के अनुसार अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है।

राजस्थान सरकार वित्त नियम विभाग के परिपत्र दिनांक 05.01.2022 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 6024/2021 बउनवानी सफी मोहम्मद एवं अन्य की याचिका के निर्णय दिनांक 01.12.2021 (अनुलग्नक–आर/5) में उक्त याचिका खारिज करने का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। अपीलार्थी की उक्त सेवानिवृति के आधार पर जारी अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी को पेंशन परिलाभ दिये गये है, अपीलार्थी को दिये गये उक्त पेंशन परिलाभों को रिवाईज्ड करवाने का कोई अधिकार नहीं है और न ही अपीलार्थी किसी प्रकार की कोई एरियर राशि व उस पर कोई ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है तथा पेंशन परिलाभ को रिवाईज्ड किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 02.12.2020 को विभाग को प्रस्तुत किया गया था, जो अपीलार्थी ने उक्त लीगल नोटिस को अपील के साथ प्रस्तुत कर अपील में अनुलग्नक–4 से प्रदर्शित किया है जिसका प्रत्यर्थी संख्या 2 विभाग के द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता को जवाब दिनांक 31.12.2020 प्रस्तुत कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा भागीरथ बनाम राज्य एवं अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 14650/2019 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित डब्ल्यू पी. नंबर 15732/2017 पी अय्यम पैरूमल बनाम रजिस्ट्रार केट व अन्य नजीर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के

नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतनराम देवड़ा)
सदस्य